पॉलिसी नहीं हैं बल्कि सब टुकड़ों में हैं। कन्वर्जन बिल आ रहा है। सरकार इसको लेकर आ रही है और हम लोग इस पर विचार भी करेंगे। मैं स्वयं स्टेंडिंग कमेटी में कन्वर्जन के ऊपर चर्चा मं शामिल रहा हूं और उस पर मैंने अपने अमेंडमेंड भी दिए हैं। आज ब्राडकास्टर को जो फ्री हैंड मिला है, आज जो ब्राडकास्टरों के ऊपर सिनेमा ओटाग्राफो एक्ट लागू नहीं है, आज जो ब्राडकास्टरों पर केबल नेटवर्क एक्ट लागू नहीं है बल्कि कन्वर्जन के आने के बाद भी उन ब्राडकास्टरों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से नीलोत्पल बसु जी के कहने का यह आशय है और मेरा भी यही सवाल है कि जब ब्राडकास्टरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था आज की तारीख में आपके पास कोई नहीं है और यदि कन्वर्जन बिल आया तो भी आप नहीं कर पाएंगे।

श्री सभापति: तो कैसे कर पाएंगे, आप बताओ?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, सम्माननीय निरुपम जी के इस सुझाव पर अवश्य विचार किया जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

Conversion of residential property

*207. SHRI KALRAJ MISHRA:†
DR. AKHILESH DAS:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have decided to restart the scheme for converting the residential property from leasehold to freehold in the capital;

(b) if so, the details of the scheme especially with respect to sub-leases of DDA plots and flats, held through the co-operative housing societies; and

(c) the number of applications received and those disposed so far?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION [MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI]: (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

---

†The question was actually asked on the floor of the house by Shri Kalraj Mishra.

(a) and (b) The scheme of conversion of residential property from leasehold to freehold, launched by the Government on 14.2.1992, and modified from time to time, is still in operation. The scheme covers the following properties:

(i) All built up residential plots, where the lease/sub-lease has been granted on behalf of the President of India/ Delhi Development Authority.

(ii) Flats and tenements allotted by the Delhi Development Authority/Slum Wing/Land and Development Office/ Department of Rehabilitation.

(iii) Flats constructed by Co-operative Group Housing Societies on land leased by the Delhi Development Authority.

Conversion of properties from leasehold to freehold is allowed after payment of conversion charges as well as ground rent and other dues. The scheme of conversion is optional. In case of plots, conversion is allowed only when residential building on the plot has been constructed and completion Certificate/'D' Form for the building has been obtained. In case of land allotted to Cooperative Group Housing Societies, conversion for individual flats is permitted after completion certificate/'D' Form has been obtained by the Society and possession of flats given to the members. The original sub-lessees/allottees are entitled to remissions in the conversion charges whereas conversion in the name of persons holding power of attorney from lessee/sub-lessee is allowed on payment of surcharge of 33.33% on the conversion fee over and above the normal conversion charges.

(c) DDA has reported that a total of 1,24,769 applications for conversion of built-up residential properties from leasehold to freehold have been received since the inception of the scheme upto 30th June 2003, out of which 1,18,690 applications have been disposed of.

श्री कलराज मिश्र: मान्यवर, शहरी विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में लीज होल्ड आवासीय सम्पत्तियों को फ्री होल्ड में परिवर्तन के लिए चलाई गई मुहिम का

विवरण तो दिया गया है लेकिन रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है कि वर्ष 2002 के आरम्भ में मंत्रालय के पास लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित थे? लम्बन की समय सीमा क्या है और परिवर्तन के आवेदनों को निपटाने में हुई देरी के कारण क्या थे? परिवर्तन हेतु लिए जाने वाले शुल्क की दर क्या थी?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, आज तक हमारे पास जो कन्वर्जन की रिक्वेस्ट आई हैं, डी॰डी॰ए॰ के पास वे 1,24,769 हैं और उनमें से 1,18,690 का निपटारा कर दिया गया है। इसी तरह एल॰एन॰डी॰ओ॰ के पास 25,117 अर्जियां आई थीं जिनमें से 23,381 का निपटारा कर दिया गया है। इन दो आंकड़ों के आधार पर आप देखेंगे कि डी॰डी॰ए॰ के पास करीब पांच प्रतिशत एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं और एल॰एन॰डी॰ओ॰ के पास सात प्रतिशत पड़ी हुई हैं।

इन्होंने पूछा कि किन वजहों से नहीं हुआ तो इनमें मुख्य कारण यह है कि जो कागज, पत्र या डॉक्यूमेंट भेजे हैं वे ठीक नहीं हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी है कि डी॰डी॰ए॰ के ऊपर कुछ लीगल केसेस भी हैं जिनकी वजह से निपटारा नहीं हुआ है। लेकिन ज्यादातर केस डॉक्यूमेंट, नॉन पेमेंट से संबंधित हैं। उन्होंने ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं या प्रूफ ऑफ पजेशन की बातें भी हैं जिनकी वजह से यह स्थिति है।

श्री कलराज मिश्र: सभापति महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की योजना से क्या जनता के दिमाग में कोई गलतफहमी पैदा हुई है? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परिवर्तन से मास्टर प्लान के अलावा गैर-योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिला है? यदि हां, तो यह बताने की भी कृपा करें कि कितने प्रतिशत परिवर्तन के मामलों के कारण गैर-योजनाबद्ध शहरी विकास हुआ है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, मैं यह नहीं मानता कि इस योजना से किसी प्रकार की कोई गलतफहमी पैदा हुई है। यह योजना 1992 में इसलिए बनी थी कि जिन लोगों के पास लीज होल्ड है वे अपनी प्रॉपर्टी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अगर भ्रम पैदा नहीं हुआ है तो ठीक है। उनका प्रश्न तो उतना ही था। कोई भ्रम पैदा हुआ ही नहीं है और आपने भी कहा कि नहीं है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: नहीं, इस प्रकार का कोई भ्रम पैदा नहीं हुआ है।

डा॰ अखिलेश दास: सभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो संख्या लिखी है वह 1992 की लिखी है। जब से यह योजना शुरू हुई है इसमें समय-समय पर संशोधन भी होता रहा है। इन्होंने बताया कि कुल 1,24,700 एप्लीकेशन्स आई हैं, जिनमें से 1,18,000 का निबटारा हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जब से नई संशोधित स्कीम पुन: स्टार्ट की है तब से कितने लोगों ने इस के लिए एप्लाई किया है क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं यह व्यावहारिक नहीं हो पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जगह-जगह इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं?...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बस हो गया।

डा॰ अखिलेश दास: उसमें लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की समस्या को भी शामिल किया गया है। मास्टर प्लान 2020 में तरह-तरह के प्रश्न डाले गए हैं। आपने इसमें दस प्रतिशत रखा है, मार्किट वैल्यू का टेन परसेंट लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्जन चार्ज लिया जाएगा। आज सिर्फ कॉपरेटिव सेक्टर में - 1950 या 1960 में जिन लोगों ने मकान लिए हैं, हजारों की संख्या में मकान लिए हैं, अगर आज वे टेन परसेंट मार्किट वैल्यू पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का कन्वर्जन चार्ज देने लगेंगे तो यह लाखों में बैठेगा, तब कहां से गरीब जनता या मिडिल क्लास को उसका बेनेफिट मिलेगा? कहां यह स्कीम कागजों में तो पड़ी नहीं रह जाएगी या चुनावी स्टंट के नाते रह जाएगी?... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, बैठिए ...(**व्यवधान**)...

डा॰ अखिलेश दास: सभापति जी, मैं दूसरा प्रश्न यह जानना चाह रहा था कि जब से डी.डी.ए. ने ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: दूसरा नहीं, मैं आपको दूसरा अलाऊ नहीं कर रहा हूं। बैठिए... (**व्यवधान**)...

डा॰ अखिलेश दास: डी.डी.ए. में इतने मामले लंबित हैं, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, जनता अंदर नहीं जा सकती...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलिए मंत्री जी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, इन्होंने पूछा कि अलग-अलग समय में कितनी अर्जी आई। हमने कुछ संख्या दे दी है। जो संख्या ये जानना

चाहते हैं वह मैं बता दूं कि 1992 वाली स्कीम में हमारे पास 31,111 एप्लीकेशन्स आई थीं इसमें से 26,802 ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: एम.पी. वाला क्या किया?

श्री सभापति: एम.पी. वाला बाद में आएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: आपके आदेशानुसार एम.पी. वाला विचाराधीन है। 1996-1999 तक कि लिए हमारे पास 21,779 एप्लीकेशन्स आईं जिनमें से 17,927 का निबटारा हो गया है 1999-2000 तक हमारे पास 47,552 आईं। इसमें से 14,910 का निबटारा हुआ है। 2000-2003 तक, अभी तक 28,327 आई हैं। इसमें से कुल मिलाकर, पुरानी वाली मिलाकर भी, हमने 59,000 का निबटारा कर दिया है। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह स्कीम जनहित के लिए है। यह किसी प्रकार का चुनावी स्टंट नहीं है। यह स्कीम 1992 से शुरू हुई है, आज की नई स्कीम नहीं है। यह कभी भी डिस्कंटीन्यू नहीं हुई है। इसमें बराबर संशोधन होते रहे हैं ताकि लोगों की जो कठिनाइयां हैं उन्हें कम करने का काम किया जाए।

*208 *[The questioner (Shri Raj Kumar Dhoot) was absent for answer vide page 38-39.]*

FDI inflow

*209. DR. T. SUBBARAMI REDDY:†
DR. M.N. DAS:

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have adopted global norms for compiling FDI inflows; if so, the details in this regard;

(b) whether Government are considering any proposal to bring FDI data reporting system into alignment with international best practices;

(c) if so, what was the FDI inflow target set for the years 2000-01, 2001-02 and 2002-03;

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.